

फर्द अहकाम

पुरलीया बनाम राजमान प्रताप

नाम न्यायालय N.C.E.M.(F.T.) शाहपुर

केस संख्या 15/2018 दस्ता 53188

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	क आज्ञा या कार्यवाही
	28/5/18	<p>आज्ञा पतावली शब्दों के अंतर्गत केस करी मे पेश हुई, पतावली का अवलोकन किया गया मूल बयान बयान स्वामी लिखित मा है। अतः दस्ता बयान उपरोक्त उक्ति किया जाता है। तदनुसार शाहपुर के आदेश दिए जाते हैं कि आ-ख-न-295/175 व 296/2-58 के कुल किंवा 2 रकबा 4-33 के बोकेशन करी तदनुसार शाहपुर के शब्दों के अंतर्गत केस करी मे दूरे स्थापना की उपलब्धि मे शब्दों के अंतर्गत के अंतर्गत बयान विपरीत मजबूत है। अतः पेश की जा रही है। अतः पतावली तदनुसार 2,9 व उपरोक्त बयान विपरीत उक्त 18/7/18 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट) शाहपुर जिला-जयपुर।</p>	
<p>पुरलीया</p>	21/6/18	<p>आज्ञा पतावली उपरोक्त उक्त जा-पत्र पेश करने पर अंतर्गत का-पेशी से पूर्व ही केस उक्त मे पेश हुई, बयान उक्त जा-पत्र के आधार पर बयान व उक्त बयान के मध्य शब्दों के अंतर्गत है। अतः उक्त को अंतर्गत यथागत मानते हैं। अतः शाहपुर के आदेश पर शाहपुर के अंतर्गत किया जाता है। पतावली के अंतर्गत को अंतर्गत मानते हैं।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट) शाहपुर जिला-जयपुर।</p>	